Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e. V.

HI

सुविधाओं में कटौति (AsylbLG)

पैसा, खाना खरीदने के वाउचर और अन्य तरह की सुविधाएं

सवाल और समस्याएं

मैं क्या कर सकता हूँ?!

जर्मनी में कानूनी तरीके से रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए सुविधाएं प्राप्त करने का हक है। यदि आपने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है, तो आपको सुविधाओं के लिए अतिरिक्त आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समाजक सुविधाएं „शरणार्थियों-सम्बंधित सुविधा" के नियमों तहत कम से कम तब तक सामाजिक सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जब तक आपको नियमत रूप में अनुमति नहीं मिलती है या फिर जब तक आप जर्मनी में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें यूरोपीय संघ के किसी अन्य देश में राजनीतिक शरण (अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा) प्रदान की गई हो (AsylbLG की धारा §1 अनुच्छेद 4 के अंतर्गत) वे इस सुविधा के हकदार नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति केवल संयोजी सुविधाओं के हकदार हैं।

यदि आपके पास अस्थायी रूप में रहने की अनुमति है और कोई आय या संपत्ति नहीं है, तब भी यही नियम लागू होंगे।

इस बारे में आपको खुद जानकारी रखना लाभदायक होती है , खासकर अपनी सेवाओं के दायरे में रहते हुए अपने अधिकार और जुमेदारीआं

जर्मनी में अधिकारियों और कार्यालयों के सम्बंधित प्रत्येक लेनदेन लिखित दस्तावेजों के रुप में होते हैं। इसकी वजह से सम्बंधित व्यक्तियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस से वह हमेशा हर बिंदु की जांच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण: हर लिखित आदान-प्रदान के दस्तावेज की कापी मददगार सिद्ध होती है। जब सेवाएं जारी की जाती हैं, तो इसके लिए हमेशा एक लिखित आधार होता है। इस पत्र को „लाइस्टुंग्स-बेशाइड" (समाजिक लाभ सूचना) कहा जाता है। यह सेवा अस्थायी रूप से जारी की जा सकती है, और समय-अवधि के खत्म होने पर इसे फिर से जांचना होता है। सुविधाएं वास्तविक परिस्थितियों के नियमों अनुसार तैह की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके रहने के अधिकार पर निर्णय के लिए कोई तारीख तय की गयी है, तो सेवाओं को पहले केवल इस तारीख तक सीमित किया जाएगा।

हर निर्णय की जाँच करना अच्छा है:

1. आपको समाजिक लाभ कितना मिलता है? यदि आपको सेवाएं नहीं मिलती तो क्यों नहीं?
2. आपको कितने समय के लिए सेवाएं प्राप्त हुई हैं?
3. कितने व्यक्तियों को ठोस रूप से सेवाएं मिली है?
4. सेवाएं मे काटोती या न मिलने का कानूनी कारण क्या है? (यहां पत्र में कारणों का उल्लेख होना चाहिए!)
5. क्या आपको सेवाएं नकदी रूप में या वस्तुओं के रूप में मिलती हैं (जैसे कि कपड़े या भोजन)? नकद लाभ का भुगतान कैसे किया जाएगा, जैसे के सरकारी दफ्तर से नकद मिलेगी या आपके खाते में पैसा जमा किया जाएगा?
6. यदि आप जारी की गयी अधिसूचना या निर्णय से असहमत हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप कानूनी रूप से फैसले के खिलाफ क्या कर सकते हैं? पत्र में इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस भाग को „रेश्ट्स-बेहेल्फ्स-बेलेहरूंग" (कानूनी अपील) कहा जाता है।

यदि आपके पास कोई सवाल यां अस्पष्टता या फिर सबसे जरूरी कोई समस्याएं हैं, तो इंतजार करने के बजाय सीधे एक सलाह केंद्र या कानूनी प्रतिनिधि (वकील) के पास जाना चाहिए।

यदि आप अंतिम निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप इस के खिलाफ कार्रवाई (आपील) कर सकते हैं। कृपया „रेश्ट्स-बेहेल्फ्स-बेलेहरूंग" (कानूनी अपील) में लिखी समय सीमा पर ध्यान दें। अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर „सम्बन्धित दफ्तर के साथ संचार" नामक सूचना पत्र पर पा सकते हैं: https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/eigene-publikationen/

आपके आवेदन पत्र की जांच पड़ताल करने के लिए कई महीने या उससे भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन आपको हर हाल में निर्णय की लिखित एक नई अधिसूचना के साथ में दी जाएगी।

आप इस पर भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

यदि आप अब कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आप अपनी मूल आवश्यकताओं (जैसे भोजन और किराया) का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो आप जिम्मेदार सामाजिक न्यायालय में एक तत्काल आवेदन पत्र खुद या फिर एक वकील की सहायता लेकर जमा करा सकते हैं और कानूनी सहायता लेना आपके लिए लाभदायक होता है।

महत्वपूर्ण: खुद जाने कि पत्रों में लिखित सूचना और दिया गया समय के सीमा की पालना करना और दस्तावेजों की कापी करके रखना ! सलाह केंद्र ढूँढे और जाएँ! यदि आवश्यक हो तो अपील जमा करें! कानूनी सहायता ढूँढे!

सुविधाओं में कटौती के संभावित कारण, प्रतिबंध, कार्यवाही इत्यादि

महत्वपूर्ण: यहां पर सुविधाओं में कटौती के एक या अधिक कारण दिए गए हैं, यह जरूरी नहीं है कि सेवाओं की अधिसूचना सही है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कटौती का आधार ऐसे कानून होते हैं जो अक्सर बदलते रहते हैं। विभिन्न कानून स्पष्ट रूप से सूत्रबद्ध नहीं किए गए हैं, यही वजह है कि सरकारी अधिकारी इनका इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से करते हैं। किसी सलाह केंद्र से इस विषय पर जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा होता है। सलाह केंद्र के कर्मचारी इन मतभेदों को जानते हैं।

जर्मनी में विभिन्न निवास अनुमतियों (विभिन्न प्रकार के वीजे) वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए, आउफ़ेनहाल्ट्स-टीटल (रहने की अनुमति) वाले लोगों को कुछ ऐसी सेवाएं मिलती हैं जो कि डुल्डुंग (अस्थायी रूप से रहने) वाले लोगों को नहीं मिलती हैं।

अधिकारियों को आपकी सेवाओं के हर बदलाव के बारे में लिखित पत्र द्वारा सूचित करना होता है (उदाहरण के लिए, यदि आपको पहले की तुलना में आगे कम सेवाएँ मिलेंगी)। इस पत्र को „लाइस्टुंग्स-बेशाइड" (सेवाओं की अधिसूचना) भी कहा जाता है। आपको हमेशा उपरिलिखित विवरण के अनुसार इसकी जांच करनी चाहिए।

यदि आपके जीवन में कोई बदलाव आया है उदाहरण के लिए नवजात शिशु, नयी नौकरी, नवविवाह, कानूनी कार्यवाही, गंभीर बीमारी तो आपके लिए अच्छा है कि आप अपना सहयोग दे। ताकि आपको पता चल सके कि आपके जीवन में बदलाव की वजह से आपकी सेवाओं पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। आप किसी सलाह केंद्र या अपने वकील से पूछें!

मेरी सुविधाओं में कब कटौती हो सकती है?

सुविधाओं में कटौती, प्रतिबंध या कार्यवाही सम्बंधित निम्न-लिखित संभावित कारण हो सकते हैं:

- यदि आप इस भाग को नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर आप इन में से कोन से ग्रुप में आते हैं, तो किसी सलाह केंद्र से बात करें -

! सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आपको जर्मनी छोड़ना होगा। आपको जर्मनी से निकलने की तारीख दी गई है। यह तारीख बीत चुकी है और आप अभी भी जर्मनी में हैं। आधिकारिक भाषा में: आप „अंतिम देश छोडने का फैसला „ के अंतर्गत आते हैं। यह AsylbLG कानून की धारा § 1aअनुच्छेद 1 में लिखा है।

- आपकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी अगर आपके लिए देश छोड़ने का फैसला गलत हुआ है तो।

! सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आप केवल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जर्मनी आए थे। यह AsylbLG कानून की धारा § 1aअनुच्छेद 2 में लिखा है।

- यह उन लोगों और उनके परिवार वालों को प्रभावित करता है जिनके पास डुल्डुंग है या फिर जो „देश छोड़ने का अंतिम फैसला „ के अंतर्गत आते हैं।

! आपको वापिस भेजने का प्रयास किया गया है। लेकिन भेज नहीं सके । „आउज़लैंडर-बिहोर्डे" (विदेशियों का कार्यालय) कहता है कि आप देश न छोड़ने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि आप घर (स्थाई पते) पर नहीं थे हालांकि आपको तारीख बताई गई थी। या इसलिए कि आपने देश न छोड़ने का विरोध किया। आधिकारिक तौर पर इसे कहा जाता है कि „वापिस भेजने की कार्रवाई आपकी वजह से मुमकिन नहीं थी" । यह AsylbLG कानून की धारा § 1aअनुच्छेद 3 में लिखा है। सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आपको „मिटविरकुंग्स-फ़्लिष्ट" (खुद सहयोग देना) के फर्ज निभाना होता है।

- यह उन लोगों और उनके परिवार वालों को प्रभावित करता है जिनके पास डुल्डुंग है या फिर जो „देश को छोडने का अंतिम फैसला" के अंतर्गत आते हैं।
  => इसके चलते हुए : सुविधाओं में कटौती की जा सकती है। यह संभावित निर्वासन की तिथि के एक दिन बाद से संभव है।

! डबलिन कानून
सम्बन्धित अधिकारी कहता है कि आपकी शरण प्रक्रिया के लिए कोई और यूरोपीय संघ का देश जिम्मेदार है
यह उस दिन से लागू होता है जिस दिन आपको देश से निकाल देने की धमकी दी जाती है। आधिकारिक तौर पर, किसी अन्य यूरोपीय संघ के देश में निर्वासन को „उस देश को सोपना „ कहा जाता है। यह AsylG कानून की धारा § 34a और AsylbLG कानून की धारा § 1a अनुच्छेद 7 में लिखा है।

- यदि अदालत ने आदेश दिया कि देश छोड़ने के फैसले का इंतजार किया जाता है तो कटौती संभव नहीं है (आधिकारिक तौर पर: देश छोड़ने के अंतिम फैसले के खतरे के खिलाफ दायर मुक़दमे के संदिग्ध प्रभाव का आदेश)
- विभिन्न अदालतें नियमों को समस्याग्रस्त मानती हैं यदि प्रभावित लोगों की ओर से कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ है, तो ऐसी कटौती की जाँच करना विशेष रूप से सार्थक है!

! सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आप (खुद सहयोग देना) के फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं। यहAsylbLG कानून की धारा § 1aअनुच्छेद 5 में लिखा है।
इसके लिये अक्सर अलग-अलग राए होती हैं। आपको यह साबित करना होता है कि आप „खुद सहयोग देना„ को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

- यदि आप शरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक शरण के लिए आवेदन नहीं किया है: आपको जल्द से जल्द शरण के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि आपके पास अपने शरण आवेदन के लिए एक तारीख है, तो आपको उस तारीख पर मौजूद होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको सम्बन्धित दफ्तर को पहले से सूचित करना होता है। आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए कि आप क्यों नहीं आ सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, तो आपको डॉक्टर से पुष्टि (जितना संभव हो उतना विस्तृत) की आवश्यकता है।
- कानून के अनुसार, आपको अपना पासपोर्ट या पासपोर्ट विकल्प प्रस्तुत करना होता है। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो कानून कहता है कि आपको पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। यह महत्वपूर्ण है कि आप तब सभी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करें।
- परिणाम: यदि आप पासपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो सुविधाओं में कटौती को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में सम्बंधित दफ्तर आपको निर्वासित करने में भी सक्षम हो सकता है।
- जब सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। आधिकारिक तौर पर इसका मतलब होता है कि „आपकी पहचान स्पष्ट नहीं की गई है"। कानून कहता है कि आपको „अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए" हर संभव कोशिश करनी होती है। ऐसा करने के लिए आपको वे सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज जो आपके पास या तो मौजूद हैं या फिर जिनकी आप व्यवस्था कर सकते हैं, उन्हें सम्बन्धित दफ्तर को सौंपना होता है।
- सम्बन्धित दफ्तर अनुरोध कर सकता है कि आप उदाहरण के तौर पर, अपने दूतावास के प्रतिनिधियों के पास जाए । यदि सम्बन्धित दफ्तर का मानना है कि आप किसी और देश के नागरिक हैं, तो आपको संभवतः उस दूतावास से भी बात करनी होगी।
  यह हो सकता है कि „पहचान संबंधी कार्रवाई" की जायेगी (जैसे उंगलियों के निशान लेना)। ये कार्रवाई „आनुपातिक" होनी चाहिए। तारिख से पहले अपने वकील या किसी सलाह केंद्र के साथ बात करें।
- यदि सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आप „मिटविरकुंग्स-फ़्लिष्ट" (खुद सहयोग देना) को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसका परिणाम आपके लिए यह भी हो सकता है की अब आपको काम करने की अनुमति नहीं है। इसे „कार्य अनुमति की वापसी" कहते हैं।

! सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आपको नौकरी करनी चाहिए। इसे „आरबाईट्स-गेलेगेनहाईट" (नौकरी का अवसर) कहते हैं। आपने इसे मना कर दिया। सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आधिकारिक तौर पर इसका मतलब है: नौकरी का अवसर „उचित" है। यह संयुक्त रूप से AsylbLG कानून की धारा § 5 अनुच्छेद 4 और धारा § 1a अनुच्छेद 1 में कहा गया है।

- यदि नौकरी करना अनुचित है क्योंकि, उदाहरण के तौर पर, यदि आप बीमार हैं या आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तो कटौती की अनुमति नहीं है।
- सम्बन्धित दफ्तर इसे „फ़्लुष्टलिंग्स-ईंटेग्रासियोंस-मासनाहमेन" (शरणार्थी एकीकरण कार्रवाई) को भी „नौकरी के अवसर" के रूप में देखता है। यह AsylbLG कानून की धारा § 5a अनुच्छेद 3 में लिखा है।

! एकीकरण पाठ्यक्रम में भाग लेने की बाध्यता अस्वीकार या रद्द या रोक दी गई है। यह संयुक्त रूप से AsylbLG कानून की धारा § 5b अनुच्छेद 2 और धारा § 1a अनुच्छेद 1 में लिखा है।

सुविधाओं में कटौती (पूर्ण!) जब तक आगमन का प्रमाण जारी नहीं किया जाता है। यह AsylbLG कानून की धारा § 11 अनुच्छेद 2a में लिखा है।

- सम्बन्धित दफ्तर कहता है कि आपको एक निश्चित स्थान पर रहना होगा। यदि आप किसी दूसरी जगह रहते हैं या अनुमति के बिना अपना स्थान छोड़ चुके हैं, तो आपकी सुविधाओं को घटा कर वोचरों के रूप में तब्दील किया जा सकता है। यह AsylbLG कानून की धारा § 11 अनुच्छेद 2 में लिखा है।

! सम्बन्धित दफ्तर मानता है या उसके पास सबूत है कि आपके पास आय, अतिरिक्त कमाई या संपत्ति है जिसके बारे में आपने सम्बन्धित दफ्तर को सूचित नहीं किया है।

- कभी-कभी सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया जाता है जब तक कि यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि आपके पास अघोषित नौकरी, खाते, क्रेडिट कार्ड इत्यादि हैं। सम्बन्धित दफ्तर तब दस्तावेज की मांग करता है। यदि आप सम्बंधित दफ्तर को आवश्यक दस्तावेज देते हैं, तो सम्बन्धित दफ्तर इन दस्तावेजों की जांच करेगा। आपको इस दौरान कोई लाभ नहीं मिलेगा । पहचान सम्बंधित दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए भी खुद भुगतान करना होगा । किराया और बीमा का भुगतान भी रोका जा सकता है।
- यदि आप अब कोई सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं और इसलिए अब अपनी बुनियादी जरूरतों (जैसे भोजन और किराया) का भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो आप जिम्मेदार सामाजिक न्यायालय को एक तत्काल आवेदन पत्र दे सकते हैं। एक वकील या अन्य कानूनी सहायता लेना आपके लिए लाभदायक होगा ।

सम्बन्धित दफ्तर यह तय करता है कि सुविधाओं की कटौती, प्रतिबंधों और कार्रवाई को कैसे लागू किया जाए । सम्बन्धित दफ्तर को कानून के आधार पर अपने फैसले को सही ठहराना होता है। कानून को कैसे समझ कर कैसे लागू करना है, यह विभिन्न सम्बन्धिती दफ्तरों के बीच भिन्न हो सकता है।

कटौती या प्रतिबंधों की स्थिति में सुविधाएं आमतौर पर बहुत कम हो जाती हैं। „आवश्यक ज़रूरतों" (पोषण और कपड़े) और „आवश्यक व्यक्तिगत ज़रूरतों" (टिकट, टेलीफोन, स्वच्छता-सम्बन्धी उत्पाद) के बीच अंतर है। „आवश्यक जरूरतें" न्यूनतम हैं। यह आपको „ज़ाखलाइस्टुंगेन" (वस्तु सम्बंधित सेवाओं) या वाउचर के रूप में भी दिया जा सकता है। वस्तु सम्बंधित सेवाओं का मतलब है, कि आपको खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आपको बने-बनाये खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। यदि आपके पास भुगतान सम्बन्धी दायित्व हैं, तो आप इन लागतों का वहन करने के लिए प्राधिकरण से आवेदन कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य देखभाल लागतों पर भी लागू होता है जो आप स्वयं वहन करते हैं।

बच्चों के लिए सेवायें कम नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसा हो सकता है कि माता-पिता अभी भी अपने बच्चों के लिए वस्तु सम्बंधित सेवाओं या वाउचर के रूप में सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

महत्वपूर्ण: „लाइस्टुंग्स-बेशाइड" (सेवाओं की सूचना) की जाँच करें! समय सीमा का पालन करें! सलाह ढूँढें! शिकायतों को दर्ज कराएं ! सहयोग दायित्व सम्बंधित संभावित परिणामों पर ध्यान दें! एक वकील से सलाह मशविरा करें! एकजुट होकर रहें!

Flüchtlingsrat
Sachsen-Anhalt e. V.

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.

Schellingstr. 3-4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 50549613
Mail: info@fluechtlingsrat-lsa.de
www.fluechtlingsrat-lsa.de

PRO ASYL

Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt bedankt sich für die Förderung bei PRO ASYL. Die Erstellung dieses Informationsblattes wurde durch die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit durch PRO ASYL möglich.